08.12.2022

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। वाद में प्रथम पक्ष को गवाही या सुलहनामा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया था। परन्तु वाद में प्रथम पक्ष न तो उपस्थित हुए, न ही गवाही या सुलहनामा प्रस्तुत किया गया। ऐसे में प्रतीत होता है कि वाद में प्रथम पक्ष को किसी प्रकार की रुचि नहीं है न ही विवादित जमीन को लेकर शांति भंग होने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में वाद को जारी रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। वाद में अभिलेख की कार्रवाई को बन्द की जाती है।

08/12
अ० प०अ०
बुण्डू।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 11:55:29 +05:30
Location: 10.93.79.10